# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक C/4362/ जबलपुर, दिनांक 27/10/2017

कु. सारिका भीमराव झोड़ापे आत्मजा स्व. श्री भीमराव करूती झोड़ापे को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (वर्गीकरण नियंत्रण अपील एवं आचरण) नियम 1996 के नियम 9(ii) *(ii) में उल्लेखित सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु निर्धारित अर्हता हिंदी मुद्रलेखन की शर्त को शिथिल करते हुये सहायक ग्रेड–तीन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200– 20200 + ग्रेड पे रू. 1900) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परीवीक्षा पर इस शर्त के साथ नियुक्ति प्रदान की जाती है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, उन्हें अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तो के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगी।
2. यह कि वे 15 दिवस के अंदर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर आवेदनपपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूलतः प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
3. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
4. यह कि, उन्हें स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्हें स्वाध्यायी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
7. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
8. यह कि उन्हें किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

10. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे एवं सभी शर्तो के संबंध में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

11. यह कि वे पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

12.. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जावेगी ।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक–C/4363/ जबलपुर, दिनांक : 27/10/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी.ई/ई./आई.एल./एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस./सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति अपलोड हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
5. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार ........................................................................ उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ............................................................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल.आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. कु. सारिका भीमराव झोड़ापे, आत्मजा स्व. श्री भीमराव करूती झोड़ापे, अंबाझरी टेकड़ी, डॉ. अंबेडकर प्रतिमा के पास, नागपुर, महाराष्ट्र पिन–440033

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)